पत्रांक–2/न०वि०/गै०यो०आ०(माडा)–131/15–250
झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित *द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–07/02/18

विषय:– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना व्यय अंतर्गत खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के गैर–वेतन मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से प्राधिकार क्षेत्र में नागरिक सुविधा, आधारभूत संरचना, इत्यादि के निर्माण हेतु कुल 12,98,55,421/– (बारह करोड़ अन्ठानवे लाख पचपन हजार चार सौ इक्कीस रूपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फीस नियमावली, 2010 के नियम 20(क) के अनुसार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा बाजार शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा किये जाने के पश्चात् इस राशि का न्यूनतम 50% राज्य सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार को विमुक्त किया जाना है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार ने अपने पत्रांक–बा०फी०शा०–09/2017–44, दिनांक–23.12.17 द्वारा यह सूचित किया कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा सरकारी कोष में कुल 37,10,15,490/–(सैंतीस करोड़ दस लाख पंद्रह हजार चार सौ नब्बे रूपये) की राशि जमा करायी जा चुकी है।
3. उपर्युक्त क्रम में राजकोष में प्राधिकार (MADA) द्वारा जमा बाजार फीस की राशि में से प्राधिकार को अनुमान्य न्यूनतम 50 % राशि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राधिकार क्षेत्र में नागरिक सुविधा, आधारभूत संरचना इत्यादि निर्माण के लिए गैर–वेतन मद में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से कुल 12,98,55,421/– (बारह करोड़ अन्ठानवे लाख पचपन हजार चार सौ इक्कीस रूपये) का बजट प्रावधान स्थापना व्यय मद अंतर्गत प्राप्त है।
4. उक्त उपबंध के आलोक में **स्थापना व्यय मद अंतर्गत खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के गैर–वेतन मद से प्राधिकार क्षेत्र में नागरिक सुविधा, आधारभूत संरचना निर्माण इत्यादि हेतु कुल 12,98,55,421/– अनुदान राशि** की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन स्थापना व्यय मद मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–03–छोटे तथा मध्य श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–01–खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद को अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड–48S221703191010679) के अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि 12,98,55,421/– (बारह करोड़ अन्ठानवे लाख पचपन हजार चार सौ इक्कीस रूपये) से की जायगी।
6. स्वीकृत अनुदान राशि को खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा अपने पी.एल. खाता में जमा किया जायेगा, जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद होंगे।
7. राशि की निकासी धनबाद कोषागार से वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत की जायेगी। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी व्ययगत राशि की सूचना टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ विभाग एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. विगत वर्ष के पूर्व के वर्ष में आवंटित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाणपत्र की स्थिति निम्नवत् है:–

प्रक्षेत्र	मद	आवंटित राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
खनीज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद	गैर–वेतन मद	86,31,43,000	86,31,43,000

9. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपायुक्त, धनबाद को सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है, जिनके प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अधीन प्रस्तुत किया जायेगा।

Arun_Vinayji_MADA Allotment 17-18_7

10. स्वीकृत अनुदान की राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0, दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम-संगत तरीके से की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध करायेंगे।
12. आवंटित की जा रही राशि से प्राधिकार क्षेत्रान्तर्गत नगरीय सुविधायों, अवसंरचनाओं और विपणन सुविधायें प्रदान करने हेतु योजनाओं के चयन के लिए उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में निम्नांकित समिति गठित की गई है:-

i.	उपायुक्त, धनबाद	अध्यक्ष
ii.	उपायुक्त, बोकारो के प्रतिनिधि	सदस्य
iii.	नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम	सदस्य
iv.	नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम	सदस्य
v.	कार्यपालक पदाधिकारी, फुसरो नगर परिषद्	सदस्य
vi.	प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (MADA)	सदस्य सचिव

13. उपर्युक्त समिति द्वारा 05, मार्च 2018 तक बैठक आयोजित करते हुए 50.00 लाख रूपये एवं इससे अधिक लागत राशि की योजनाएँ चयनित कर तत्संबंधी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
14. इस प्रयोजन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के सार्वजनिक लोक उपक्रम, जुडको लि०, राँची से भी सेवाएँ भी प्राप्त की जा सकती हैं। योजनाओं का चयन **'अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम लाभ'** अवधारणा के आधार पर किया जायेगा।
15. उपर्युक्त योजना चयन समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
16. प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (MADA), धनबाद के द्वारा विभागीय स्तर से स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन नियमानुसार खुली प्रतिस्पर्द्धा निविदा के आधार पर ई-निविदा के माध्यम से सुयोग्य कार्यकारी एजेन्सियों को चयनित करते हुए प्राक्कलित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर सम्पन्न कराया जायेगा।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-903/02.03.02 के विभिन्न बिन्दुओं का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि योजना का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। डुप्लीकेशन के लिए प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद पूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जायेंगे।
18. वित्त विभाग के पत्रांक-903 दिनांक-02.03.02 के विभिन्न बिन्दुओं का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निश्चित रूप से शुरू करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन न हो।
19. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दि०-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः कोषागार पदाधिकारी, धनबाद वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या- 759/वि० दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

6.2.18

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/न०वि०/गै०यो०आ०(माडा)-131/15-250 राँची, दि०-07/02/18

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/उपायुक्त, धनबाद एवं बोकारो/प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद/नगर आयुक्त, धनबाद एवं चास नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, फुसरो नगर परिषद्/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद कोषागार, धनबाद/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT Specialist)/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.18

सरकार के प्रधान सचिव।

Arun_Vineeta_MADA Allotment 17-18_8